भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
**Ministry of Environment, Forests & Climate Change**
**Regional Office (Central Region)**

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/33/2015/एफ.सी./927

दिनॉकः 20.10.15

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

**विषय : जनपद चित्रकुट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा एन0एच0–76/35 के किनारे 11 के0बी0 की भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.39 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।**

**सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 743/11सी–यू0पी0–042/2015, दिनांक– 30.09.2015**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 137/11सी–यू0पी0–042/2015, दिनांक– 14.08.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 15.09.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद चित्रकुट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा एन0एच0–76/35 के किनारे 11 के0बी0 की भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.39 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 0.78 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– लेखा संख्या– एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक

20/10/15

वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. भूमिगत केबिल डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जाएगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर गैर वन भूमि में निस्तारित किया जाएगा। यह क़ार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा।

5. भूमिगत केबिल डालने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई भाग–0.6 मीटर चौड़ाई में ही की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नही पहुचायां जाएगा।

7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, चित्रकुट वृत्त, बांदा, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, चित्रकुट वन प्रभाग, चित्रकुट, उ0प्र0
6. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, खण्ड–चित्रकुट, उ0 प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

20/10/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

FILE NUMBER 8B/UP/04/33/2015/FC

MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB033/2015-LUC

# Filing

**1.Name of the Proposal** *LAYING OF UNDERGROUND ELECTRIC CABLE UNDER RAPDRP PROJECT*

| | |
|---|---|
| **2.Category** | Transmission |
| **3.State Govt. Letter Number** | 337/11-C-UP-042/2015 |
| **4.Date of application** | 14/08/2015 |
| **5.Date of receipt** | 26/08/2015 |
| **6.District** | CHITRAKOOT |
| **7.State** | UP |
| **8.Regional Office Letter Number** | 8B/UP/04/33/2015/FC |
| **9.Regional Office Letter number(old)** | NA |
| **10.Year** | 2015 |

# Processing

**1. LOCATION**

**a) Village** NA

**b) Location** CHITRAKOOT

**2. PARTICULAR OF FOREST**

**a) Name of Forest Div.** CHITRAKOOT KARVI

**b) Forest Area Involved in ha.** .39 **c) Map** Yes

**d) Legal Status :-** **i) RF :** 0 **ii) PF :** .39 **iii) Van Panchyat :** 0

**iv) Civil Swyam :** 0 **v) PF for Management Purpose :** 0 **vi) Others:** 0

**3.IN CASE OF ROAD/ CANAL/ RAILWAY LINE/ TRANSMISSION LINE**

**a) Total Length(in Kms.)** 13 **b) Total Width(in Mtrs.)** .3

**c) Total Area(in Ha.)** .39

**4. VEGETATION DENSITY** .03

**5. NUMBER OF TREES TO BE FELLED** 0

**6.WHETHER ANY RARE/ENDANGERED/UNIQUE SPECIES OF FLORA & FAUNA FOUND IN THE AREA.**

No If so details thereof NA

**7.WHETHER THE AREA IS W/L SANCTUARY OR NATIONAL PARK**

No If yes consent of IBWL NA

**8. WHETHER THE PROPOSED FOREST LAND IS UNAVADIABLE & BAREST MINIMUM.**

Yes

**9. COMPENSATORY AFFORESTATION**

**a) Particulars of forest land** Tree Planting **b) Map** Yes

**c) Comprehensive Scheme** Submitted **d) Area in ha.** 0

**e) Planting Trees** 0 **f) Land Suitability Certificate**

**10. VIOLATION IF ANY..** No

**a) If yes justification of condonation**

**b) Penal CA**

**i)** Particulars of forest land

**ii)** Map

**iii)** Comprehensive Scheme

**iv)** Area in ha. 0

**v)** Tree Planting 0

**11. CATCHMENT AREA TREATMENT**

**a) Map** NA

**b) Comprehensive Scheme** NA

**12. REHABLITATION**

**a) Particulars of Land** NA

**b) Map** NA

**c) Comprehensive Scheme** NA

**d) Land Use Plan** NA

**13. GEOLOGIST REPORT**

Not Required

**14. COST BENEFIT ANALYSIS**

Not Required

**15. RECOMMANDATION OF**

**a) DFO** Yes **b) PCCF/NO** Yes **c) Government** Yes

**d) Local Body** Yes **e) Others**

**16) Site Inspection Report By DFO / CF :**

**Remarks** NO REMARK ENTERED

## Recommendation

**Recommended for**

EDS for following informations

1 Fra Certificate is not submitted with enclosoures

2 Pages 18 and 19 35 36 and 37are photocopy

***Submitted to CCF for order.***

27/8/2015

**Reference nsp 2-3**

The forest land diversion proposal for laying of underground 11 kV electricity transmission line along both side of NH 76/35 from 107 to 100 km stone RHS and 106 to 100 km stone LHS at Chitrakoot Dham, Chitrakoot has been proposed by Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Chitrakoot. Hard copy of the proposal is submitted vide letter no. 337/11-C-UP-042/2015, Lucknow dated 14th August 2015 from CCF cum Nodal Officer, Department of Forests, Uttar Pradesh. The details of forest land proposed for diversion is provided below

| Sr No. | Forest Division | Details of forest land area (in ha) | Legal Status | Crown Density | Eco Class | No. of trees to be felled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forest Division Chitrakoot (Karvi) | 0.39 | Protected Forests | 0.3 | Eco III | NIL |

After careful examination of the proposal following discrepancies/issues have been noted and the same needs to be redressed. The details are provided below:

1. Page numbering and index has not been done on the documents of diversion proposal.
2. Part I E, the data of employment likely to be generated is shown as NIL which seems to be erroneous due to the fact that implementation of a project having financial outlay of the tune of Rs 59.00 crores will certainly generate employment of temporary and/or permanent nature during implementation and operational phases.
3. As per the part II page 7 density of vegetation is shown 0.3 but the enumeration list shows number of trees as NIL.
4. The calculation of requirement of Protected Forest is wrong. The calculation submitted at page 24 has been carried out with a width taken as 0.3 mts whereas right of way (ROW) prescribed is 7 mts for 11 KV line as per ministry's guideline of 5th May 2014.
5. All the certificates on page 18,19,20,21,22,23,33,52,53 & 54 the seal of concerned officers have not been affixed.
6. The calculation of NPV as per eco class, crown density and revised area needs submission.
7. The proposal needs submission of geo referenced map (at page 37) with latitude and longitude of key points in .shp/KML file of forest patches required for diversion. The map provided with the online proposal contains only few GPS points of center line of the existing road. Digital form of the data in CD of Pen Drive needs submission.
8. The Google map supposedly provided for compensatory afforestation (does not have title) shows afforestation location well forested and needs to be changed.
9. Site suitability certificate (page 52) is not as per the approved format.

In view of the above observations; if approved, the proposal needs to be returned back for revision and rectification of flaws.

The file is submitted for your perusal and necessary directions, please.

APCCF

(Signature) 20/8/15

Conservator of Forests
RO-MOEF &CC, Lucknow

Be returned for revised proposal.

प्रारूप प्रस्तुत है

मुरवक्षी पं/मा
10/9/2015

प्रारूप संशोधन के संग प्रस्तुत करें।

[signature] 10/9/15

Mrs Mala

संशोधित प्रारूप प्रस्तुत है

मुरवक्षी पं/मा
11/9/2015

संशोधित प्रारूप अनुमोदित।

[signature] 11/9/15

श्रीमती माला

स्वच्छ प्रति ह0/- हेतु प्रस्तुत है

मुरवक्षी पं/मा
14/9/2015

[signature] 14/9/15

Dispatch
Mrs Mala

पत्र सं0 (779)
निर्गत किया
[signature]
15-9-15

PUC- 2-55/C
नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्रांक-743/11-C-UP-042/2015 लखनऊ दिनांक 30-9-15 के जनसंपर्क पत्र द्वारा इस कार्यालय द्वारा चाही गई सूचनाओं दिनांक 15-9-2015 द्वारा करते हुए संशोधित प्रस्ताव का निराकरण किया गया है सभी सूचनाओं को प्रस्तुत कर दिया गया [illegible] गया है